इस्लाम और इंसानी हुकूक़

क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद नक़वी, जनरल सेक्रेट्री मजलिस उलमा-ए-हिन्द
अनुवादः सैय्यद सुफ़यान अहमद नदवी

(12)

पिछले मज़मून में जुल्म के मौज़ू पर कुछ तफ़सील से बातचीत हुई। इस्लाम में जुल्म और अद्ल के बारे में इतनी ज़्यादा हदीसें मौजूद हैं कि उनके बयान के लिए एक अलग किताब की ज़रूरत है। इस्लामी क़ानूनों का बनाने वाला अल्लाह है जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है और उसे पहुँचाने वाले मुहम्मद मुस्तफ़ा सल-लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम हैं जो आलमीन के लिए रहमत हैं, इसलिए इस में अद्ल ही अद्ल है, जुल्म का शक भी नहीं। अख़लाक़ के जानकारों ने लिखा है कि जुल्म की बुनियाद और वजहें कुछ चीज़ें बनती हैं **(1)जेहालतः-** जेहालत और नादानी जुल्म की बुनियाद बन जाती है जैसे कि काले रंग की क़ौमों पर जुल्म होता रहा है। इस जाहिलाना ख़याल के साथ कि गोरे लोग उनसे बेहतर हैं और काले उनकी सेवा के लिए पैदा किये गए हैं या जिस तरह हिन्दुस्तान में हज़ारों साल दलितों पर इस बेवक़ूफ़ी वाले ख़याल के साथ जुल्म होते रहे कि वह भगवान के पैरों से पैदा किये गए हैं, इसलिए उनका काम सिर्फ़ सेवा करना है, जबकि इस ख़याल को पेश करने वाले इस हक़ीक़त को भूल गए कि सर की बड़ाई पैरों ही की वजह से है, अगर पैर सहारा न दें तो सर ज़मीन पर नज़र आएगा। ज़ाहिर है कि अल्लाह के यहाँ जेहालत का गुज़र नहीं। जहाँ इल्म ऐन ज़ात हो वहाँ जेहालत की जगह कहाँ? इसलिए यह जुल्म की बुनियाद उसके यहाँ नहीं पाई जाती। **(2) डरः-** जुल्म करने की एक वजह डर भी है। एक मुल्क का ज़िम्मेदार दूसरे मुल्क पर सिर्फ़ इस डर से हमला कर देता है कि कहीं वह हमले में पहल करके उसे तबाह न कर दे और इस तरह से वह जुल्म करने वाला बन जाता है। या जिस तरह से वक़्त के शहंशाह और डिक्टेटर, जमहूरियत पसन्द करने वालों और आज़ादी के चाहने वालों पर इस तरह जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते हैं कि कहीं ये आज़ादी का आन्दोलन ज़ोर न पकड़ जाए और उनका सिंघासन पलट न जाए, लेकिन अल्लाह तआला को अपनी हुकूमत के लिए किसी से ख़तरा नहीं जो वह (अल्लाह की पनाह) ऐसे किसी क़दम को उठाने वाला हो। **(3)ज़रूरतः-** कभी-कभी इंसान को उसकी ज़रूरत जुल्म पर मजबूर कर देती है। अगर अपने आयोग्य होने पर वह किसी चीज़ से महरूम है तो वह चाहता है कि दूसरे से छीन कर हासिल कर लें और इस तरह से वह जुल्म और सितम करता है। अल्लाह तआला के यहाँ जुल्म की ये बुनियाद भी नहीं क्योंकि हर एक उसका मोहताज है और वह हर एक से बेनियाज़ है। **(4)लालच और ख़ुदग़र्ज़ीः-** इन दो नफ़्सानी बीमारियों की वजह से इंसान जुल्म करता है। चाहता है दूसरों का हक़ छीन ले। ज़्यादा से ज़्यादा का मालिक बन जाए। अल्लाह तआला की ज़ात में जुल्म की ये बुनियाद भी नहीं पाई जाती, क्योंकि काएनात की हर चीज़ का वह ख़ुद मालिक और मुख़्तार है। और ज़र्रा-ज़र्रा अपने होने में उसका मोहताज है। **(5)नफ़्स की बुराईः-** कुछ लोगों को दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाकर मज़ा आता है। जिसे Sadism कहा जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ़ दूसरों को तकलीफ़ देकर तो मज़ा लेता है, मगर ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि ख़ुद अपनी औलाद को तकलीफ़ पहुँचाकर भी वह ख़ुशी महसूस कर ले। अल्लाह की

मुहब्बत अपनी मख़लूक़ से एक माँ की मुहब्बत से सत्तर गुना से भी ज़्यादा है। इसलिए उसकी पाक ज़ात में ज़ुल्म की ये वजह भी नहीं पाई जाती। जब ये साबित हुआ कि सारी ज़ुल्म की वजहों से उसकी ज़ात पाक और साफ़ है तो अब उसके बनाए हुए क़ानून में ज़ुल्म का गुज़र नहीं हो सकता।

हज़रत इमाम ज़ैनुलआबिदीन[अ०] ने बहुत ही क़ीमती जुमला इरशाद फ़रमायाः ''कमज़ोर इंसान ज़ुल्म का सहारा लेता है'' हमारा ख़याल तो ये है कि ज़ुल्म वह करते हैं जो बहुत ताक़तवर हो जाते हैं, लेकिन इमाम[अ०] ने इसके उलट ख़याल पेश किया है कि ज़ुल्म का सहारा वही लेता है जो ख़ुद मोहताज और कमज़ोर होता है, जब हम ग़ौर करते हैं तो इस इरशाद का मतलब सामने आता है कि सहारा वही लेता है जो कमज़ोर होता है। ताक़तवर को सहारे की ज़रूरत नहीं। ज़ुल्म का सहारा लेना साबित करता है कि ज़ालिम ख़ुद कमज़ोर है और छीनता वही है जो ख़ुद महरूम और मोहताज होता है। इसलिए किसी से छीन लेना ये ज़ाहिर करता है कि अगर मोहताज न होता तो छीनने की ज़रूरत न होती और अल्लाह तआला के लिए क़ुरआन मजीद में एलान है- ''अल्लाह तआला तमाम आलमों की मख़लूक़ों पर ज़ुल्म का इरादा तक नहीं करता'' (सूरए-आले इमरान, आयत-8)

न सिर्फ़ ये कि अल्लाह ज़ुल्म नहीं करता, बल्कि ज़ुल्म का हक़ीक़ी बदला लेने वाला वही है। सारे मज़लूमों और सताए हुए लोगों को उसने यक़ीन दिलाया है कि ज़ालिम उसके बदले से बच नहीं सकते। रसूल[स०] का इरशाद हैः- ''जिस दिन ज़ालिम से बदला लिया जाएगा, वह दिन उस दिन से कहीं सख़्त होगा कि जब ज़ालिम ने मज़लूम पर ज़ुल्म किया है।'' एक जगह पर इरशादे रिसालत हैः- ''मज़लूम की दुनिया से ज़ालिम इतना नहीं ले पाता जितना मज़लूम ज़ालिम के दीन से ले लेता है।'' ज़ुल्म के मौज़ू पर बहुत ही अहम इरशाद हैः ''सारी दुनिया ख़त्म हो जाए उसकी अहमियत अल्लाह के यहाँ कम है इस बात से कि बेगुनाह का ख़ून बहे।'' हदीस शरीफ़ में इरशाद हैः- ''अगर किसी ने ज़ालिम का साथ दिया चाहे उसकी दवात में रोशनाई क्यों न भरी हो या उसे कलम क्यों न दिया हो या उसके लिए थैली का मुँह क्यों न बाँधा हो (यानी देखने में बहुत ही मामूली काम क्यों न अंजाम दिये हों) ऐसे मददगार भी अल्लाह के बदले से बच नहीं पाएंगे।'' इन सभी हदीसों से साबित होता है कि क़ुरआन और इस्लाम की निगाह में मुसलमान सिर्फ़ वही है जो न ख़ुद ज़ुल्म करे न किसी ज़ालिम का साथ दे।

इस्लाम तो रहमत का क़ानून है कि इंसान तो इंसान जानवरों तक पर ज़ुल्म सख़्ती से मना है। आज तहरीकें चलाई जा रही हैं कि जानवरों पर होने वाला ज़ुल्म रोका जाए। एन०जी०ओज़ बन रहे हैं, मगर इस्लाम जानवरों के हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त में आगे है और उनकी हिमायत में क़ानून बना चुका है। इरशादे रिसालत हैः- ''अगर किसी ने किसी जानवर यहाँ तक कि एक छोटी से चिड़िया पर भी ज़ुल्म किया तो क़यामत के दिन मैं उसके दुश्मन की हैसियत से आऊँगा'' दूसरी हदीस में इरशाद हैः- ''अगर किसी ने बिला वजह एक गौरैय्या को भी मार दिया तो वह नन्हीं चिड़िया हश्र के मैदान में अल्लाह से फ़रियाद करेगी कि फ़लाँ शख़्स ने बिला वजह मेरी जान ली।'' अब दहशतगर्द सोचें कि जब इस्लाम में किसी जानवर को भी बिला वजह मारना सख़्ती से मना है और ज़ुल्म में गिना जाता है तो धमाकों से हज़ारों लाखों बेगुनाहों को मार देना कैसे इस्लाम माना जाएगा? और जब हदीस एलान फ़रमा रही है कि अगर बिला वजह किसी ने एक चिड़िया को भी मार दिया तो रसूल[स०] ऐसे शख़्स के दुश्मन की हैसियत से हश्र के मैदान में तशरीफ़ लाएंगे। इस बात से उस झूठ का पोल खुल जाता है जो भोले-भाले मुसलमान नौजवानों को अमरीका और इस्राईल के ख़रीदे हुए मुल्ला मोलवी समझाते हैं कि अगर किसी मज़ार, मस्जिद, दरगाह, इमाम बारगाह, स्कूल या बाज़ार में अपने को बम से उड़ा लिया तो रसूलुल्लाह[स०] जन्नत में दस्तरख़्वान पर तुम्हारा स्वागत करेंगे।

(बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू), 6 मई 2011[ई०])

(13)

अब तक की बातचीत का ख़ुलासा ये है कि इस्लामी क़ानून रहमत की बुनियाद हैं और इसकी हर शाखा ख़ुदाई रहम को दिखाने वाली है। किसी मुसलमान को किसी भी बहाने से न तो ज़ुल्म करने की इजाज़त है

और न किसी ज़ालिम का साथ देने की। यहाँ तक कि किसी काफ़िर व ग़ैर मुस्लिम पर भी ज़्यादती करने का इस्लाम रवादार नहीं है। बल्कि मामला इस से भी बड़ा है और कुरआन मजीद में मुसलमान की तारीफ़ (Defination) इस तरह की गई है, मतलबः- ''तुम कितनी बेहतरीन उम्मत हो'' (सूरए आले इमरान, आयत-110) आयत में न मुसलमान का लफ़्ज़ है और न मोमिन बल्कि 'अन्नास' है, यानी पूरी इन्सानियत जिसमें काफ़िर और मुश्रिक सब दाख़िल हैं। कुरआन की आयत के हिसाब से एक मुसलमान उस वक़्त बेहतरीन उम्मत कहलाने के लायक़ बन सकेगा, जब वह इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रहा हो, काश मुसलमान इस आयत के माने समझ सकें। ज़ुल्म करना तो बहुत दूर की बात है एक मुसलमान को न्युट्रल और बेपरवाह रहने की भी इजाज़त नहीं, बल्कि कुरआन मजीद की नज़र में मुसलमान सिर्फ़ वह है जो दूसरों के फ़ायदे के लिए काम कर रहा हो और इस फ़ायदा पहुँचाने में उसे मुस्लिम या ग़ैर मुस्लिम का फ़र्क नहीं करना है। आज जो मुसलमान, इस्लाम दुश्मन ताक़तों की साज़िशों का शिकार बन कर अपनी नाजाएज़ हुकूमतों को बचाने के लिए मुसलमानों का बेदर्दी से ख़ून बहा रहे हैं, वह अपने बुरे चेहरे इस आयत के साफ़ सुथरे आईने में देखें और खुद फैसला करें कि वह किस हद तक मुसलमान हैं और ख़ास तौर से वह उलमा और ज़िम्मेदार जो ऐसी ज़ालिम हुकूमतों की हिमायत करते चले आए हैं, वह इस आयत को सामने रखते हुए अपने फ़ैसले पर दोबारा नज़र डालें।

ऊपर दी गई आयत की रौशनी में हुज़ूर सरवरे काएनात मुहम्मद मुस्तफ़ास॰ की हदीस शरीफ़ दो तरह से आई है। एक जगह पर इरशाद है, मतलब- 'मुसलमान वह है जिसके हाथ और ज़बान से हर मुसलमान महफ़ूज़ रहे'' दूसरी जगह इरशाद है, मतलब- ''मुसलमान वह है, जिसके हाथ और ज़बान से सब इंसान महफ़ूज़ रहें'' यानी रिसालत की नज़र में मुसलमान सिर्फ़ वही है जिसके हाथ और ज़बान से किसी इंसान को भी नुक़सान न पहुँचे। इसी तरह से एक और इरशादे रिसालत है, मतलब- ''मुसलमान वह है जिसकी तरफ़ से उसके पड़ोसी का दिल सुकून में रहे'' इस से ज़्यादा क़ीमती और मतलब भरा जुमला दुनिया के किसी भी अख़लाक़ का सबक़ देने वाले की ज़बान से न आज तक निकला है और न निकलेगा। पाक इरशाद में लफ़्ज़ पड़ोसी है जो मुसलमान भी हो सकता है और ग़ैर मुस्लिम भी। ऐसे पड़ोसी को कामिल यक़ीन और सुकून हो कि मेरे बराबर में एक मुसलमान रह रहा है और क्योंकि वह मुसलमान है, इसलिए इस से मुझे कभी नुक़सान नहीं पहुँच सकता। खुद रसूले पाकस॰ कुरआनी आयतों और अपने इरशादों की अमली तस्वीर पेश कर रहे हैं। तारीख़ में वाक़िआ लिखा है कि हुज़ूरस॰ तशरीफ़ लिये जा रहे हैं, अस्हाबे केराम का मजमा साथ-साथ है। रसूले ख़ुदास॰ की नज़र पड़ी कि एक बूढ़ी औरत पानी की एक भारी मश्क (चमड़े का एक बड़ा थैला जो कुछ ज़माने पहले तक पानी भरने के लिए इस्तेमाल होता रहा है) कांधों पर लिये जा रही है रसूलुल्लाहस॰ ने देखा कि बूढ़ी औरत से बोझ उठ नहीं रहा है। आप फ़ौरन आगे बढ़े और उसके कांधों से मश्क उतार कर अपने कांधों पर रख ली। यह नहीं पूछा कि मज़हब क्या है। बूढ़ी औरत से पूछा कि घर का पता बताइये, मैं वहाँ पहुँचा दूँ। सहाब-ए-केराम दौड़ कर आए अल्लाह के रसूलस॰ ये मश्क हमें दे दीजिए, आप तकलीफ़ न उठाइये। रसूलुल्लाह ने इनकार फरमा दिया, तारीख़ गवाह है कि आगे-आगे वह बूढ़ी औरत पीछे-पीछे अल्लाह के रसूलस॰ भारी मश्क उठाए हुए चल रहे थे। घर के दरवाज़े पर पहुँच कर इस औरत ने मश्क लेना चाही तो रसूले अकरमस॰ ने फ़रमाया वह जगह बताईये जहाँ आप मश्क रखती हैं। औरत घर के अंदर ले गई। रसूलुल्लाहस॰ ने मश्क को उसकी जगह रखा, पलट कर जाने लगे तो उस बूढ़ी औरत ने रसूलस॰ को मुख़ातब करके कहा कि ऐ जवान मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मगर शुक्रिये के तौर पर तुम्हें एक फ़ायदेमंद मश्वरा देना चाहती हूँ। रसूलुल्लाहस॰ ने अख़लाक़न फ़रमाया ज़रूर दीजिए। कहा देखो हमारे इलाक़े में एक जादूगर आ गया है, जिसका नाम मुहम्मद है (वह अभी तक पहचानती नहीं थी कि मदद करने वाला कौन है) देखो उसका जादू ऐसा है कि जिस पर भी वह जादू कर देता

है वह अपने बाप-दादा का दीन छोड़कर उसका दीवाना हो जाता है, इसलिए उसके धोके में कभी भी न आना। रसूले अकरम ने फ़रमायाः मेरे लिए आपके मश्वरे पर अमल करना मुमकिन नहीं है। बूढ़ी औरत के माथे पर बल पड़े। तुम्हारी भलाई के लिए इतना अच्छा मश्वरा दे रही हूँ और तुम इनकार कर रहे हो। फ़रमाया इस लिए मुमकिन नहीं कि जिस मुहम्मद[स॰] से आप दूर हो जाने का मश्वरा दे रही हैं वह मुहम्मद[स॰] तो मैं खुद हूँ। ये सुनना था कि वह हैरत में पड़ गई। सकते में आ गई। तुम ही मुहम्मद हो? फ़रमाया, हाँ मैं ही हूँ। अब इस बूढ़ी ख़ातून के जुमले देखिये, कहती है ''मेरे रिश्तेदार देख रहे थे कि मुझ से मश्क नही उठ रही है, मगर कोई आगे न बढ़ा। मेरे क़बीले वाले देख रहे थे मुझे मदद की ज़रूरत है, मगर मदद न की, लेकिन तुम ने न ये पूछा कि मैं कौन हूँ न मेरा मज़हब पूछा, बल्कि फ़ौरन मदद के लिए आ गए। अब मैं समझी कि तुम्हारा जादू क्या है। तुम्हारा जादू तुम्हारा अख़लाक़ है, तुम्हारा जादू तुम्हारा किरदार है।'' इस वाक़िए से जहाँ एक हक़ीक़ी मुसलमान के फ़राएज़ का अंदाज़ा होता है, वहाँ दूसरी तरफ़ इन इस्लाम दुश्मनों के इस प्रोपगण्डे का क़िला धवस्त होता है कि रसूले इस्लाम[स॰] के एक हाथ में तलवार थी और एक हाथ में क़ुरआन और उन्होंने इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैलाया।

आज से चौदह सौ साल पहले इस्लाम ने सिर्फ़ इंसान ही नहीं, बल्कि जानवरों के हुक़ूक़ का भी लेहाज़ रखा है। एक मौक़े पर रसूल ने जानवरों के छः हुक़ूक़ बयान फ़रमाए हैं:- (1) जब अपनी मंज़िल पर पहुँचो तो अपनी ग़िज़ा और पानी की फ़िक्र बाद में करो, पहले अपनी सवारी के जानवर को सैर सैराब करो (2) सफ़र के बीच में जहाँ कहीं पानी नज़र आए, वहाँ जानवर को ले जाओ (3) जानवर के चेहरे पर न मारो (4) सवारी के जानवर पर बैठे-बैठे कोई दूसरा काम न करो। सफ़र पूरा होते ही उतर जाओ। जैसे कि ऐसा न हो कि सवारी पर बैठे-बैठे आपस में लम्बी बातचीत शुरु कर दो (5)जानवर पर उसकी ताक़त से ज़्यादा सामान न लादो (6) जानवर की ताक़त से ज़्यादा सफ़र न करो। जानवर के सिलसिले में इतनी छोटी-छोटी बातों का ख़याल इस्लाम ने रखा है, जिनका पुराने ज़माने में सोचना भी मुश्किल था। (बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू), 20 मई 2011[ई॰])

(जारी)

शेष.......... उहद के शहीद

शहीद हुए। बनू अब्दुद्दार की अज़ीम शख़सियत हज़रत मुस्अब बिन उमैर भी इसी जंग में काम आए जिनकी ख़ूबसूरती का क़ुरैश में जवाब न था और जिन्होंने रसूल[स॰] की मुहब्बत में दुनिया का हर आराम छोड़ दिया था। अंसार में से जो लोग शहादत पाए उनमें हज़रत हंज़ला (जिनको फ़रिश्तों ने ग़ुस्ल दिया) का नाम सब ही जानते हैं। ये ख़िताब उन्हें ख़ुद रसूल[स॰] ने दिया था क्योंकि फ़रिश्तों ने उन्हें ग़ुस्ल दिया था।

उहद के शहीदों में अनस[रज़ि॰] बिन मालिक के चचा अनस बिन नज़्र भी थे जिनकी लाश में सत्तर घाव के निशान पाए गए। अल्लामा सुहैली ने लिखा है कि क़बीला बनु दिबनार की एक औरत का शौहर, भाई और बाप सब उहद की जंग में शहीद हो गए। और जब लोगों ने उसको उनकी मौत की ख़बर सुनाई तो बजाए उन पर ग़म करने के उसने पूछा कि खुद रसूल[स॰] किस हाल में हैं? और फिर दौड़ती हुई आई और जब रसूल[स॰] को सही सालिम देखा तो खुश होकर कहने लगीः ''हुज़ूर[स॰] सलामत रहें तो फिर हमें किसी मुसीबत की भी कोई परवाह नहीं है।'' लोग चाहते थे कि अपने-अपने रिश्तेदारों की लाशों को मदीने में दफ़न करें लेकिन रसूल[स॰] ने हुक्म दिया कि सबको उहद के मैदान में दफ़न किया जाए।

रसूल[स॰] के चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब[अ॰] की क़ब्र उहद पहाड़ के ठीक सामने है। आपकी एक बड़ी ख़ास बात ये थी कि आपकी जनाज़े की नमाज़ में रसूल[स॰] ने सत्तर तकबीरें कहीं थीं।